

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 39ए/16

पुराना व्य.वाद.क्र. 39ए/12

संस्थापन दिनांक:-17/10/12

फाईलिंग नं. 15/2012

1. कुवर पिता फागू, उम्र 55 वर्ष
 2. कलाबाई पति कन्हैया, उम्र 56 वर्ष
 3. सुखराम पिता कन्हैया, उम्र 35 वर्ष
 4. धनाराम पिता कन्हैया, उम्र 31 वर्ष
 5. गंगाराम पिता कन्हैया, उम्र 28 वर्ष
- क्र. 1 से 5 निवासी तरोड़ा बुजुर्ग कप्पीढाना,
पोस्ट गुबरेल तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. देवकी पति दयाराम, उम्र 26 वर्ष
- निवासी पारबिरोली, पोस्ट खैरवानी,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादीगण

वि रू द्ध

1. अनिल पिता दसरू, उम्र 30 वर्ष
 2. दसरू पिता फागू, उम्र 40 वर्ष
- दोनों निवासी तरोड़ा बुजुर्ग कप्पीढाना,
पोस्ट गुबरेल तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. चैती पति सुकू, उम्र 32 वर्ष
- निवासी हिवरा, पोस्ट खैरवानी,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
4. गोंडू पिता फागू, उम्र 36 वर्ष
- निवासी पारबिरोली, पोस्ट खैरवानी,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. नत्थू पिता फागू, उम्र 36 वर्ष
- निवासी गोरलीढाना पोस्ट अम्बाड़ा,
तहसील पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
6. बोंदर पिता फागू, उम्र 50 वर्ष
- निवासी शोभापुर कॉलोनी रेलवे लाईन के किनारे,
क्वार्टर नं. एम.क्यू. 540 क्लब कॉलोनी,
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)

7. फुन्दन पिता फागू, उम्र 62 वर्ष
निवासी जाम, पोस्ट जाम,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
8. परसराम पिता देवला, उम्र 35 वर्ष
निवासी तरोड़ा बुजुर्ग, तहसील आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)
9. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 01.08.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 812 रकबा 0.821 हे. तथा ख.नं. 827 (नया ख. नं. 769/4) रकबा 0.425 हे. स्थित ग्राम तरोड़ा बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि) की स्वत्व घोषणा तथा उपर्युक्त भूमि के किये गये विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं दिनांक 30.03.2013 को शून्य घोषित कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि विवादित भूमियां मूल स्वामी दमड्या की थी तथा यह भी स्वीकृत है कि दमड्या के द्वारा मैनाबाई को बख्शीश की गयी थी। यह भी स्वीकृत है कि मैनाबाई वादीगण के पिता फागू की तीसरी पत्नी थी।

3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 01 कुवर के पिता फागू के पिता अर्थात् उसके दादा दमड्या की ग्राम तरोड़ा में ख.नं. 559/5 (नवीन ख.नं. 812) रकबा 0.821 हे. तथा ख.नं. 572/1 (नवीन ख.नं. 827) एवं तत्पश्चात नवीन ख.नं. 769/4 रकबा 1.246 हे. था। वर्ष 1961 में दमड्या ने वादी के पिता फागू का मैना के साथ गंधर्भ पाठ विवाह किया। तब उपर्युक्त भूमियों को बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 दमड्या के द्वारा मैना को किया गया। वर्ष 1976 में दमड्या एवं उसके पुत्र दौलत, फागू, किशन, बग्गू, मंगर के बीच दमड्या की संपूर्ण भूमियों का सहमति से विभाजन हुआ जिसमें अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि ख.नं. 812 एवं ख.नं. 827 वादी के पिता फागू के हिस्से में आयी थी। इस संबंध में पंजीकृत विभाजन पत्रक दिनांक 01.06.1976 भी लेख किया गया था। इस प्रकार उपर्युक्त विवादित भूमियों का फागू एक मात्र स्वत्वाधिकारी था। वादी के पिता फागू को बंटवारे में ख.नं. 708, 812, 769, 821, 827, 810 प्राप्त हुई थी। फागू ने अपनी मृत्यु के लगभग पांच वर्ष

पहले अपने जीवनकाल में उसे बंटवारे में प्राप्त भूमियों का मौखिक बंटवारा अपने पुत्रों के बीच कर दिया था जिसमें से विवादित भूमि ख.नं. 812 एवं 827 (नया ख.नं. 769/4) फागू के हिस्से में आया। शेष अन्य पुत्रों को दी गयी। फागू अपने हिस्से में प्राप्त भूमियों पर अपने जीवनकाल में काबिज रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद मैना काबिज रही।

4 फागू के पुत्र कन्हैया एवं कुवर के द्वारा अपने पिता फागू की सेवा खुशामद की गयी जिससे प्रसन्न होकर उपर्युक्त विवादित भूमि की वसीयत फागू ने उनके पक्ष में दिनांक 07.03.1995 को कर दिया और वसीयत में यह भी लेख किया कि मैना के मरने के बाद ही कन्हैया और कुवर वसीयत की जा रही भूमि के हकदार होंगे परंतु प्रतिवादी क्र. 01 अनिल ने मैना से उपर्युक्त विवादित भूमियों का विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 अपने पक्ष में करवा लिया परंतु उपर्युक्त भूमियों पर आधिपत्य वादीगण का ही रहा। मैना को विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। अतः उपर्युक्त विक्रय पत्र से प्रतिवादी अनिल को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। विक्रय पत्र शून्य है। प्रतिवादी अनिल के द्वारा वाद लंबन के दौरान भी विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्र. 08 परसराम को दिनांक 30.03.2013 को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र भी वादीगण के हित विरुद्ध होकर शून्य है। चूंकि विवादित भूमि वादीगण को अपने पिता से वसीयत से प्राप्त हुई है जिसे मैना को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीगण द्वारा यह दावा विवादित भूमियों के स्वत्व घोषणा तथा विक्रय पत्रों को शून्य घोषित कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5 प्रतिवादी क्र. 01 से 03 के द्वारा संयुक्त रूप से वाद पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण ने वंशवृक्ष त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण बताया है तथा वादीगण के द्वारा दमड़्या की विवादित भूमियों के साथ-साथ अन्य भूमियां भी थी जिनका उल्लेख नहीं किया है। खसरा नंबर 559/5, ख.नं. 572/1 दमड़्या की स्वअर्जित संपत्ति थी जिसे दमड़्या ने दिनांक 04.06.1961 को पंजीकृत बख्शीश पत्र मैना के पक्ष में निष्पादित कर उसे कब्जा भी दे दिया था। तब से निरंतर उपर्युक्त भूमि पर मैना ही काबिज काशत रही है। मैना का विवाह दमड़्या के पुत्र फागू से हुआ था तथा उससे फागू की संतान दसरू और चौतीबाई हुई। प्रतिवादी अनिल दसरू का पुत्र है। चूंकि उपर्युक्त भूमि बख्शीशनामा में मैनाबाई को मिल गयी थी इसलिए दमड़्या को उपर्युक्त भूमि के विभाजन का हक नहीं था। पंजीकृत विभाजन पत्र दिनांक 01.06.1976 विधि विरुद्ध है। अतः जबकि दमड़्या को ही उपर्युक्त भूमि के बंटवारे का अधिकार नहीं था तब ऐसी स्थिति में फागू को भी उस भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। स्वत्व न होने से फागू वसीयतनामा करने का अधिकारी भी नहीं रह जाता है और न ही ऐसी कोई वसीयत फागू के द्वारा अपने पुत्र कन्हैया

एवं कुवर को की गयी है। विवादित भूमि की एकमात्र स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी मैनाबाई थी। मैनाबाई ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्र. 01 को पंजीकृत विक्रय पत्र से उसे भूमि विक्रय की। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्र. 01 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। वादीगण ने नामांतरण को कोई चुनौती भी नहीं दी थी तथा मैनाबाई के भी स्वत्व एवं आधिपत्य को कोई चुनौती नहीं दी। अतः मैनाबाई द्वारा प्रतिवादी क्र. 01 अनिल के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र विधि संमत है। अतः वादीगण का दावा निरस्त किया जावे।

6 प्रतिवादी क्र. 08 की ओर से पृथक जवाबदावा प्रस्तुत कर उसमें यह लेख किया गया है कि दमड्या ने अपने जीवनकाल में मैनाबाई के हक में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 निष्पादित कर उसे विवादित भूमि का कब्जा भी दे दिया था। जैसे ही दान किया जाता है उसका हक समाप्त हो जाता है। अतः दमड्या को दान की गयी भूमियों का बंटवारा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। मैनाबाई विवादित भूमियों की पूर्ण स्वत्वाधिकारी थी और उसने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्र. 01 अनिल के पक्ष में विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया था जिससे तत्पश्चात प्रतिवादी क्र. 01 अनिल विवादित भूमियों का स्वामी हुआ तथा अनिल के द्वारा अपने स्वत्व की भूमि का विक्रय उसे किया गया है। विक्रय पत्र पूर्णतः विधि संमत है। अतः वादी का दावा निरस्त किया जावे।

7 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या विवादित भूमि मौजा तरोड़ाबुजुर्ग प.ह.नं. 65, ब.नं. 1164, रा.नि.मं. बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित भूमि ख.नं. 812 रकबा 0.821, ख.नं. 827 नया ख.नं. 769/4 रकबा 0.425 हे. भूमि की मैना स्वत्व व आधिपत्यधारी थी ?	
2.	क्या विवादित भूमि का मैना को प्रतिवादी क्र. 01 को विक्रय करने का अधिकार था ?	
3.	क्या प्रतिवादी क्र. 01 के पक्ष में विवादित भूमि का निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 अवैध एवं शून्य है ?	

4.	क्या वादीगण, वसीयतनामा दिनांक 07.03.1995 के अनुसार विवादित भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	
5.	क्या विवादित भूमि ख.नं. 769/4 रकबा 0.425 एवं ख.नं. 812 रकबा 0.821 भूमि का प्रतिवादी क. 01 अनिल के द्वारा प्रतिवादी क. 08 परसराम के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2013 अवैध एवं शून्य है ?	
6.	क्या वादीगण विवादित भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?	
7.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उसपर पर्याप्त न्याय शुल्क चसपा किया है ?	
8.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

8 वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि उनके दादा मूल पुरुष दमड्या ने अपने पुत्र फागू के मैना के साथ गंधर्व पाट विवाह के समय भूमि ख. नं. 559/5 तथा ख.नं. 572/1 बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 के द्वारा मैना को बख्शीश की थी परंतु बख्शीशनामा में विवादित भूमियां मैना को मात्र अपना गुजर बसर करने के लिए दी गयी थी उसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वादीगण का यह भी अभिवचन है कि ख.नं. 559/5 का नवीन नंबर 812 एवं 572/1 का नया नंबर 827 तथा तत्पश्चात 827 का नया नंबर 769/4 निर्मित हुआ। बाद में उपर्युक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता फागू को दमड्या के द्वारा अपने पुत्रों के मध्य अपनी जमीनों का बंटवारा किये जाने पर अन्य भूमि के साथ प्राप्त हुआ।

9 प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि मैना को दमड्या ने बख्शीशनामा में विवादित भूमियां दी थी जिसके बाद वह विवादित भूमि की पूर्ण स्वामिनी हुई और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भी दर्ज हुआ तथा उसी का आधिपत्य भी चला आया।

10 वादीगण के द्वारा अभिलेख पर मूल बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वादीगण ने उपर्युक्त विवादित भूमि बंटवारे में अपने पिता फागू को प्राप्त होना बताया है परंतु न तो रजिस्टर्ड बंटवारानामा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसे कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि बंटवारे में प्राप्त होने के बाद विवादित भूमि फागू के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई हो। **प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किशतबंदी वर्ष 1989-90 (प्रदर्श डी-1) के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 769/4 रकबा 0.425 हे. तथा ख.नं. 812 रकबा 0.821 हे. मैना पिता लहोबा भोयर के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है।** उभयपक्ष की ओर से आगामी वर्षों के राजस्व दस्तावेज खसरा किशतबंदी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह उपधारित किया जायेगा कि आगे भी विवादित भूमियों पर मैना का ही स्वत्व एवं आधिपत्य रहा। स्वयं वादीगण का यह कहना है कि दमड़्या ने अपने पुत्र फागू के विवाह के समय मैना को विवादित भूमि बख्शीश की थी। यद्यपि साथ में ही वादीगण का यह भी कहना है कि दमड़्या ने केवल गुजर बसर के लिए मैना को भूमि दी थी परंतु वादीगण के द्वारा मूल बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 प्रस्तुत नहीं किया गया है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि दमड़्या के द्वारा मैना को भूमि बख्शीश किये जाते समय बख्शीशनामे में कोई शर्त अधिरोपित की गयी थी अथवा नहीं। प्रदर्श डी-1 में विवादित भूमि मैना के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। खण्डन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से अभिलेख पर नहीं है। साथ ही वादीगण की ओर से ऐसे भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि दमड़्या के द्वारा किये गये बंटवारे में फागू को प्राप्त हुई थी एवं फागू का विवादित भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य रहा हो। अतः यह उपधारित किया जायेगा कि दमड़्या के द्वारा विवादित भूमि मैना को बख्शीश किये जाने के बाद विवादित भूमि पर मैना का स्वत्व एवं आधिपत्य रहा। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि मैना विवादित भूमियों की स्वत्वाधिकारी थी। चूंकि मैना का विवादित भूमि पर स्वत्व था, अतः उसे अपनी इच्छा अनुसार विवादित संपत्ति का व्ययन करने का भी अधिकार था। फलतः यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि मैना को विवादित भूमि प्रतिवादी क्र. 01 को विक्रय करने का अधिकार था। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 01 एवं 02 "हां" के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

11 वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि ख.नं. 812 एवं ख.नं. 769/4 वादीगण के दादा दमड़्या के द्वारा वादी कुवर के पिता फागू से मैना के गंधर्व पाट के समय बख्शीशनामा दिनांक 04.02.1961 के द्वारा मैना को इस शर्त पर बख्शीश की गयी थी कि वह उपर्युक्त भूमि से अपनी

गुजर बसर करेगी परंतु उसे विक्रय का अधिकार नहीं होगा। वादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वर्ष 1976 में मूल पुरुष दमड़्या ने उनके पुत्र दौलत, फागू, किशन, बग्गू एवं मंगल के मध्य अपनी संपूर्ण भूमि का पंजीकृत विभाजन दिनांक 01.06.1976 को लेख किया था जिसमें दमड़्या ने अपने पुत्र फागू को मैना को बख्शीश में दी गयी भूमि भी अन्य भूमियों के साथ बंटवारे में दी थी तथा फागू के द्वारा भी उसे बंटवारे में जो भूमियां प्राप्त हुई थी उन भूमियों का मौखिक बंटवारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों के बीच में किया गया था जिसमें से विवादित भूमियां फागू ने अपने हिस्से में रखी थी और शेष भूमियां उसके पुत्रगणों के हिस्से में आयी थी। फागू ने अपने पुत्र कन्हैया एवं कुवर की सेवा खुशामद से प्रसन्न होकर विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 07.03.1995 को निष्पादित की थी जिसके आधार पर वादीगण विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हुए।

12 जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह लेख किया है कि दमड़्या के द्वारा विवादित भूमि का बख्शीशनामा मैना को कर दिये जाने पर मैना विवादित भूमि की पूर्ण स्वामिनी हो गयी और उसका राजस्व अभिलेखों में नाम भी दर्ज हुआ। मैनाबाई के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने स्वत्व की संपत्ति को प्रतिवादी अनिल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा फर्जी है।

13 वादीगण ने अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) तथा प्रतिवादीगण को प्रेषित राजस्व कार्यालय की नोटिस प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-6 तथा मैना एवं वादी कन्हैया का मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमशः प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 प्रस्तुत की है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किश्तबंदी वर्ष 1989-90 (प्रदर्श डी-1) प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज विवादित भूमियों का अपना स्वत्व प्रमाणित करने हेतु वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) है।

14 किसी वसीयत को प्रमाणित करने के लिए धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सुसंगत हैं। धारा 63 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि विल दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए। जिसमें से प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर या निशान लगाए गए हों या निष्पादक ने उसके हस्ताक्षर या निशान होने की अभिस्वीकृति दी हो और प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक के समक्ष अपने हस्ताक्षर उस पर किए हों। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक से अधिक अनुप्रमाणक साक्षी एक ही समय पर किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित रहे। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज जिसका विधि के अनुसार अनुप्रमाणन आवश्यक हो वह ऐसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप

में तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन साबित करने के लिए ना बुलाया गया हो।

15 किसी वसीयतनामे का अनुप्रमाणन किस रीति से किया जायेगा इसे साबित करने हेतु किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Janki Narayan Bhoir Vs Narayan namdeo kadam AIR 2003 SC 761** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं :- *"On a combined reading of Section 63 of the Succession Act with Section 68 of the Evidence act, it appears that a person propounding the Will has got to prove that the Will was duly and validly executed. That cannot be done by simply proving that the signature on the Will was that of the testator but must also prove that attestations were also made properly as required by Clause (c) of Section 63 of the Succession Act. It is true that Section 68 of Evidence Act does not say that both or all the attesting witnesses must be examined. But at least one attesting witness has to be called for proving due execution of the Will as envisaged in Section 63. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a Will. To put in other words, if one attesting witness can prove execution of the Will in terms of Clause (c) of Section 63, viz. attestation by two attesting witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a Will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the Will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in his evidence, satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of Will at least by two witnesses for the simple reason that the execution of the Will does not merely mean the signing if it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act."*

16 वसीयत को प्रमाणित करने का दायित्व वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर रहता है अर्थात् उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा के चिन्ह लगाने के साथ उस दस्तावेज के प्रभाव या प्रकृति को समझते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे। अर्थात् वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निष्पादन के भौतिक एवं मानसिक दोनों तत्वों को प्रमाणित करना होता है। यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियों हो तो उसे भी प्रमाणित करने का दायित्व उसी पर होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **एच. व्यंकटवला अयंगर विरुद्ध जी.एन. चिम्बजम्बा एवं अन्य ए.आई.आई. 1959 एस.सी.**

443 अवलोकनीय है।

17 वादीगण के द्वारा वसीयतनामा दिनांक 07.03.1995 को प्रमाणित कराये जाने हेतु किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी को आहूत नहीं किया गया है। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज जिसका विधि के अनुसार अनुप्रमाणन आवश्यक हो वह ऐसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन साबित करने के लिए ना बुलाया गया हो।

18 वादी साक्षी कुवर (वा.सा.-3) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में किये गये कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वसीयतनामा कहाँ पर लेख करवाया गया था। वसीयतनामा दो साल पहले बनाया गया था। भाभी कला ने इस वसीयतनामे को बनवाया था। किसी भी वादी साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) वसीयतकर्ता फागू को वसीयत लेख किये जाने के उपरान्त पढ़कर, सुनाया, समझाया गया हो और न ही यह प्रकट हो रहा है कि वसीयतकर्ता फागू ने अनुप्रमाणक साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हों एवं उसके बाद साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर वसीयतनामा पर किये हो। वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि वसीयत के प्रथम पृष्ठ पर फागू के अंगूठा निशानी नहीं है जो कि वसीयत को संदेहास्पद बनाता है। साथ ही स्वयं वादी कुवर के द्वारा वसीयत के संबंध में प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में किये गये कथन वसीयतनामा को और अधिक संदेहास्पद बना देते हैं। वादीगण के द्वारा पंजीकृत बंटवारानामा भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि दमड़्या के द्वारा अपनी भूमियों के किये गये बंटवारे में फागू को वसीयत की जा रही भूमि प्राप्त हुई थी और उसे उसका स्वत्व प्राप्त था। अभिलेख पर ऐसे दस्तावेजों के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि वसीयत की जा रही भूमियों का फागू स्वत्वाधिकारी था। फलतः फागू विवादित भूमियों की वसीयत किये जाने का अधिकारी भी नहीं पाया जाता है। वादी के द्वारा वसीयत का निष्पादन एवं अनुप्रमाणन प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही संदेहास्पद परिस्थितियों का कोई उचित स्पष्टीकरण भी उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। अतः वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) प्रमाणित नहीं माना जा सकता और उसके आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि के वादी कन्हैया एवं कुवर स्वत्वाधिकारी हुए। तदनुसार वाद प्रश्न क. 04 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 एवं 05 का निराकरण

19

वादीगण के द्वारा प्रतिवादी अनिल द्वारा परसराम को विवादित

भूमि का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2013 (प्रदर्श पी-9) तथा प्रतिवादीगण की ओर से मैना द्वारा अनिल के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में निष्पादित मूल विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 (प्रदर्श डी-2) प्रस्तुत किया गया है।

20 वाद प्रश्न क्र. 04 के निष्कर्षानुसार वादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं 30.03.2013 की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्याय दृष्टांत **रामौत विरुद्ध ओझी 1978(II)डब्ल्यू.एन. 214** में यह अवधारित किया गया है कि जहां वादी अपना मामला साबित करने में असफल रहता है वहां दूसरे पक्ष की साक्ष्य देखना आवश्यक नहीं है इसलिए विवादित संपत्ति पर वादीगण का हित होना प्रमाणित नहीं होने से उसे प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं 30.03.2013 वादी के हक एवं हित के विपरीत होकर निष्प्रभावी होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। तदानुसार वाद प्रश्न क्र. 03 एवं 05 **“नहीं”** के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्र. 06 का निराकरण

21 वादीगण के द्वारा अभिलेख पर ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है। साथ ही वादीगण विवादित भूमि पर अपना स्वत्व भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं हैं। तदानुसार वाद प्रश्न क्र. 06 **“नहीं”** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 07 का निराकरण

22 प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावे में मात्र यह लेख किया गया है कि वादीगण ने उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। कोई भी स्पष्ट अभिवचन प्रतिवादीगण ने नहीं किया है कि कितना मूल्यांकन होना चाहिए और किस प्रकार से न्यायालय शुल्क कम अदा किया गया है। वादीगण के द्वारा यह दावा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं 30.03.2013 को शून्य घोषित कराये जाने की सहायता चाही गयी है परंतु उसमें वादीगण पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विक्रय के मूल्य अनुसार न्यायालय शुल्क अदा किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन घ घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 300/- 300/- रुपये कर निश्चित न्यायालय शुल्क 500/- एवं 120/- रुपये अदा किया है। विवादित भूमियां कृषि भूमि हैं

जिस पर भू-राजस्व के बीस गुने पर वाद का मूल्यांकन किया जायेगा। अतः इस प्रकार वादी द्वारा किया गया वाद मूल्यांकन उचित होना एवं समुचित न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 07 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 08 का निराकरण

23 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण विवादित भूमि ख.नं. 812 रकबा 0.821 हे. तथा ख.नं. 827 (नया ख. नं. 769/4) रकबा 0.425 हे. स्थित ग्राम तरोड़ा बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में तथा विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं दिनांक 30.03.2013 शून्य एवं अवैध होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वादीगण का विवादित भूमि ख.नं. 812 रकबा 0.821 हे. तथा ख.नं. 827 (नया ख. नं. 769/4) रकबा 0.425 हे. स्थित ग्राम तरोड़ा बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल के स्वत्व घोषणा, विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं दिनांक 30.03.2013 को शून्य घोषित कराये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत दावा खारिज किया जाता है।
2. वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रालिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल